

25-5-2016

राज्य लोक शिदालत न्याय आयोग द्वारा
तदनु उपपक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस
जारी करने के बाद पत्रावली और राजद्व
लोक शिदालत शिदालत विभा के-उ सुप्रीम कोर्ट
पर पेश हुई। जहाँ का नोटिस बिलम्बित
शामिल हुए बाद ही जहाँ का रजिस्ट्रार को
ब्यक्ति के नाम लगाई गई। जहाँ की अर्ज
कोई भी उपस्थित नहीं है अतः जहाँ का
आवक शिदालत (आरटी) व अर्ज फिली के खर्च
की जाता है पत्रावली फिलामुद्रण हेतु रजि
नि रूप है तथा शामिल हुए बाद ही

10